



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 62363-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 5638/2026

सत्यपाल @ सत्यपाल सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : आरफी, राम जतन यादव

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.2.2026 को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 60/29/20/8 के तहत पुलिस स्टेशन-इगलास, जिला-अलीगढ़ दर्ज मामला संख्या 0062/2026 में आक्षेपित एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना के साथ यह रिट याचिका दायर की है।
3. एफआईआर के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में एफआईआर 490 किलोग्राम गांजा की बरामदगी के आधार पर दर्ज की गई है और उसमें लगाए गए आरोपों के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिकुरा निवासी पुष्पेंद्र, कृपाल सिंह, नीरज उर्फ टाड़गर, रवि उर्फ नैहारा और सत्यपाल (वर्तमान याचिकाकर्ता) ट्रैक्टर में लादे गए गांजे की अवैध तस्करी में लिप्त हैं और गांजे से लदे उक्त ट्रैक्टर को पुष्पेंद्र के घर में छिपाया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया है, जो वहां मौजूद है और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और प्रतिबंधित वस्तु बरामद की जा सकती है।

4. इस संबंध में गुप्त सूचना सीओ इगलास को भेजी गई और जीडी रिपोर्ट संख्या 60 दिनांक 11.02.2026 को रात 9:19 बजे तैयार की गई। इसके बाद जीडी रिपोर्ट संख्या 61 के अनुसार रात 9:25 बजे पुलिस दल ने प्रतिबंधित वस्तु को बरामद करने के लिए कार्रवाई की और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 41(2) के तहत तलाशी वारंट भी प्राप्त किया गया तथा सर्किल अधिकारी पुलिस बल के साथ सिकुरा गांव की ओर रवाना हुए। इसी बीच, मोबाइल फोन पर उड़ीसा राज्य से लाए गए गांजे की अवैध तस्करी के संबंध में एक अन्य सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और संदिग्ध स्थान पर पहुंची, जहां आरोपी पुष्पेंद्र को गिरफ्तार किया गया। पुष्पेंद्र ने याचिकाकर्ता सत्यपाल और पांच अन्य लोगों के बारे में बताया कि वे गांजा की अवैध तस्करी में शामिल थे। पुष्पेंद्र द्वारा बताए जाने पर 475 किलोग्राम कथित प्रतिबंधित वस्तु बरामद की गई, जिसे कब्जे में ले लिया गया और विधिवत कार्रवाई करते हुए बरामदगी का विवरण तैयार किया गया, जिसके आधार पर आक्षेपित एफआईआर दर्ज की गई है। प्रतिबंधित वस्तु लादी गई ट्रैक्टर को भी कब्जे में ले लिया गया, साथ ही वैगन-आर और मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहन भी बरामद किए गए और उनकी बरामदगी का विवरण तैयार किया गया। इसी आधार पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18/20/29/60 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि विवादित एफआईआर में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है और इसलिए आक्षेपित एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।

7. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान एजीए ने याचिकाकर्ता की उपरोक्त प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और कहा कि सूचनादाता द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, जिसमें याचिकाकर्ता और चार अन्य आरोपियों की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, भारी मात्रा में प्रतिबंधित वस्तु (ठीक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

490 किलोग्राम गांजा) बरामद कर कब्जे में ले ली गई है, साथ ही प्रतिबंधित वस्तु के वितरण में इस्तेमाल किए गए वाहन और मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले लिए गए हैं और इसकी बरामदगी का ज़ापन तैयार कर लिया गया है।

8. विद्वान एजीए ने आगे कहा कि आक्षेपित एफआईआर में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ता की संलिप्तता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है और मामले में गहन जांच और विस्तृत छानबीन की आवश्यकता है।

9. विद्वान एजीए ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **मोहम्मद सहाबुद्दीन एवं अन्य बनाम असम राज्य: 2012 (119) एआईसी 45; भारत संघ बनाम संजीव वी. देशपांडे: एआईआर 2014 एससी 3625; हीरा सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य: एआईआर 2020 एससी 3255; और पंजाब राज्य बनाम राकेश कुमार: एआईआर 2019 एससी 84** के निर्णयों पर भी भरोसा जताया है और इसके मद्देनजर, इस स्तर पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और यह रिट याचिका भी खारिज किए जाने योग्य है।

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी दलीलों पर विचार करने और याचिकाकर्ता की भारी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता के विशिष्ट आरोप तथा पुलिस द्वारा बरामद 490 किलोग्राम प्रतिबंधित वस्तु और तैयार किए गए उचित बरामदगी ज़ापन को ध्यान में रखते हुए, जो इस मामले में याचिकाकर्ता की संलिप्तता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, हम इस मत पर पहुंचे हैं कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है।

11. इसके अतिरिक्त, पिछले अनुच्छेदों में चर्चा किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून तथा राज्य के विद्वान एजीए द्वारा प्रस्तुत दलीलों तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हम इस मत पर पहुंचे हैं कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराधों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाली विवादित एफआईआर को इस प्रारंभिक चरण में, विशेषकर भारी बरामदगी को देखते हुए, समाप्त नहीं किया जा सकता है।

12. उपरोक्त को देखते हुए, इस स्तर पर आक्षेपित एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना पूरी तरह से निराधार है और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. यह रिट याचिका मेरिट हीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

25 मार्च, 2026

केयू

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-द्वितीय) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।